1. In the court of Abhishek K. Das. Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P. No. 276/2026, dt. 10.03.2026, Mohit Kumar vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>जमानत आवेदन संख्या–276/2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. मोहित कुमार, वल्द पवन मंडल उम्र 20 वर्ष
ग्राम– कोईरिया टोला वार्ड नं0–25, थाना–रक्सौल, जिला– पूर्वी चम्पारण.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री राजकुमार देवकुयिार ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

10.03.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त मोहित कुमार की ओर से रक्सौल थाना कांड संख्या–534/2025, धारा–331(4), 305 बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 20.12.2025 से कारा में निरूद्ध है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक उदय बिहारी प्रसाद का कथन है कि दिनांक 16.12.2025 को उसके त्रिलोकी नगर स्थित आवासीय मकान के पूरब साईड से अर्द्धनिर्मित मकान के रास्ते उसके घर में घुसकर अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना को कारित किया गया है। छत के रास्ते घर में घुसे चोरो के द्वारा घर के अन्दर एक कमरे में रखे गए जेवरात जो उसकी धर्मपत्नी गायत्री देवी तथा उसकी दोनों लड़की तथा उसकी बड़ी लड़की के सास का है जिसमें सोना का एक छोटा चैन, एक सोने का बड़ा चैन, सोने का एक मंगलसूत्र सोना का नाम का नथ दो पीस, सोना का छोटा मंगलसूत्र, चॉदी का पायल एवं बिछिया, एक टाईटन घड़ी, दो लेडिज पर्स जिसमें एक पर्स में साठ हजार रूपया एवं दूसरे में दस हजार रूपया नगद था तथा दो मोबाईल फोन चोरी कर लिया।

जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय

उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है तथा कंडिका–4 में आवेदक दिनांक 20.12.2025 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में अंकित नहीं है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित आरोप मनगढ़ंत एवं झूठ है। आवेदक का आरोपित धारा से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है। प्राथमिकी अज्ञात चोर के विरूद्ध दर्ज है। आवेदक का नाम कांड दैनिकी की कंडिका– 30 में अंकित गिरफ्तार सह अभियुक्त टुन्ना कुमार के संस्वीकृति बयान से प्रकट हुआ है, जिसमें चोरी की घ ाटना में आवेदक की संलिप्तता बताया गया है तथा कांड दैनिकी की कंडिका– 38 के अनुसार सह अभियुक्तों एवं आवेदक की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया जाना अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका–59 के अनुसार सूचक एवं उसकी पुत्री के द्वारा चोरी के जेवर की पहचान किया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका–3 एवं कांड दैनिकी की कंडिका– 55 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास अंकित नहीं है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित आरोप में अधिकतम सात साल के सजा का प्रावधान है। आवेदक दिनांक 20.12.2025 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, आरोप की प्रकृति, आवेदक का पूर्व स्वच्छ आपराधिक वृति एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त मोहित कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि :–

1. आवेदक विचारण में सहयोग करेंगे।

2. जमानतदारो में से एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार माता, पिता, भाई, बहन एवं पत्नी होंगे।

3. आवेदक जमानत से मुक्ति के पश्चात् यदि इसी तरह के मामले में अभियुक्त बनाया जाता है तो जमानतदार इसकी सूचना से संबंधित शपथ–पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करेंगे तथा विद्वान विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि शर्तो के दुरूपयोग के आधार पर आवेदक का बंध–पत्र रद्द कर सकेगे।

4. आवेदक किसी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, यदि ऐसा करता है तो उसका बंध–पत्र रद्द किया जा सकता है ।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांकः–10.03.2026